बिहार सरकार
मद्यनिषेध उत्पाद एंव निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

सं0स0–10/नि0–04–(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)–05/2026..3881../भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (सं0– II 1899), जैसा कि बिहार राज्य में लागू है, की धारा 74 एवं 75 सह पठित धारा 10, 49 और 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–**
   i. यह नियमावली "बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) (संशोधन) नियमावली, 2026" कहलाएगी।
   ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   iii. यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के नियम–12 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में सेवा प्रदाता के लिए अधिकतम क्रेडिट सीमा रू0–10,00,000/–(दस लाख) मात्र निर्धारित की जाती है।

3. बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 के नियम–13 में उल्लेखित है किः–

   "कमीशनः– ई–स्टाम्प बेचने वाले या ई–स्टाम्प के लिए क्रेडिट सीमा खरीदने वाले सेवा प्रदाता को राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कमीशन का भुगतान किया जायेगा"।

   नियम–13 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है–
   "सेवा शुल्कः– ई–स्टाम्प बेचने वाले सेवा प्रदाता को देय सेवा शुल्क का निर्धारण निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समय–समय पर किया जायेगा तथा वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुरूप सेवा शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता को पक्षकार द्वारा किया जायेगा"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 10/नि0–04–(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)–05/2026...............पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सरकार के सचिव।

Government of Bihar

Department of Prohibition, Excise & Registration

(Registration)

Notification

Patna, Dated :..............................

S.O.No.-10/Reg-04-(Credit Limit and Commission)-05/2026......................./ In exercise of the powers conferred by Sections 10, 49 and 52 read with sections 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II 1899), as applicable to the State of Bihar, the State Government hereby make following Rules:

1. **Short Title, Extent & Commencement:-**
   - i. These rules may be called the "Bihar Stamp (Service Provider Licence and Supply of e-Stamp) (Amendment) Rules, 2026".
   - ii. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   - iii. It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the light of the provisions stipulated in Rule 12 of the Bihar Stamp (Service Provider Licence and Supply of e-Stamps) Rules, 2026, the maximum credit limit for a Service Provider is fixed at Rs. 10,00,000/- (Ten Lakhs) only.

3. Rule-13 of the Bihar Stamp (Service Provider Licence and Supply of e-Stamp) Rules, 2026 states that:-

   "Commission: The service provider selling e-stamps or purchasing credit limit for e-stamps shall be paid commission as notified by the State Government from time to time."

   Rule-13 is substituted as follows:-

   "Service charge: The service charge payable to the Service Provider selling e-stamps shall be determined by the Inspector General of Registration from time to time and shall pe paid by the party to the Service Provieder as per the existing system."

By the Order of the Governor of Bihar,

(Ajay Yadav)

Secretary to the Government.

ज्ञापांकः— 10/नि0—04—(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)—05/2026.......................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः— वित्त विभाग, ई—गजट कोषांग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—800017 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/—
(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 10/नि0—04—(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)—05/2026.......................... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 10/नि0—04—(क्रेडिट सीमा एवं कमीशन)—05/2026...3881..... पटना, दिनांक ...11.06.26

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता—सह—जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/अवर निबंधक (सभी/कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

10.6.26
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।